न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–47/2024

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
जेठमल पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी डेगाना जिला नागौर
मैसर्स गणेश मिष्ठान भण्डार बाबा रामदेव मंदिर के पास डेगाना

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी

निर्णय

दिनांक –02.12.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 29.11.24 को अपना जवाब पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि श्री उपखण्ड अधिकारी डेगाना के साथ श्री रामनिवास प्रवर्तन निरीक्षक, डेगाना द्वारा घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की सूचना पर गणेश मिष्ठान भण्डार, बाबा रामदेव मंदिर के पास डेगाना पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर गणेश मिष्ठान भण्डार के दो घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर पाईप लाईन के साथ चालू भट्टी में जुडे पाये गये, दोनों भट्टिया मौके पर चालू अवस्था में थी जिन्हें बंद करवाकर दोनों सिलेण्डर को अलग किया गया। मौके पर दुकान की तलाशी की गई तलाशी में 7 घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारित किये हुए पाये गये। इस प्रकार मौके पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित एवं व्यवसायिक दुरूपयोग किये पाये गये। मौके पर जेठमल से घरेलू गैस के भण्डारण, विक्रय एवं व्यापार से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री जेठमल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/ व्यवसायिक दुरूपयोग किय गये 9 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	एचपीसएल	672137-E	4.5 किग्रा
2	एचपीसएल	014753-T	खाली
3	एचपीसएल	359744-E	खाली
4	एचपीसएल	780487-S	खाली
5	एचपीसएल	139391-S	खाली
6	एचपीसएल	756462-T	खाली
7	एचपीसएल	277663-E	खाली
8	एचपीसएल	024139-S	खाली
9	एचपीसएल	565596	8.11 किग्रा

02/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स साईनाथ एचपी गैस सर्विस, डेगाना के प्रतिनिधि श्री हजारीलाल की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री जेठमल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में जो 09 गैस सिलेण्डर पकडे गये है उनसे अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है, अगर उक्त 09 गैस सिलेण्डर को समपहरण (Confiscate) किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डेगाना के साथ रामनिवास प्रवर्तन निरीक्षक, डेगाना द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री जेठमल से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 9 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 09 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर